

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश संख्या.....64..... / 2026
सं०सं० अ०नि० (02) 21 / 2025 / नि०सं०

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1238(24) दिनांक 23.07.2025 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश अदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री राहुल कुमार, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, सुपौल को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत बहन की अचानक तबीयत खराब एवं अस्पताल में भर्ती हो जाने के कारण दिनांक 25.11.2025 से 28.11.2025 तक कुल 04 (चार) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(अजीत कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 21 / 2025 / नि०सं०..... दिनांक.....
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सुपौल / मुख्य अभियोजक, सुपौल / प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / श्री राहुल कुमार, अभियोजन
पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
उप सचिव।

ज्ञापांक अ०नि० (02) 21 / 2025 / नि०सं० 367 दिनांक 10/12/26
प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव।

Shakar